प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0,
राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई,
विशाल कॉम्पलैक्स,
19—ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्याः एस0पी0एम0यू0 / सी0एच0 / IDCF / 35 / 2016–17 / 2220-75 दिनांक 27 / 06 / 2016

विषय—प्रदेश के समस्त जनपदों में सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा (Intensified Diarrhoea Control Fortnight-IDCF) दिनांक 11 से 23 जुलाई 2016 तक मनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा (IDCF) का आयोजन दिनांक 11 जुलाई से 23 जुलाई, 2016 तक प्रदेश के समस्त जनपदों में मनाया जाना प्रस्तावित है। आप अवगत हैं कि विगत वर्ष 2015–16 में आपके सक्रिय सहयोग से उक्त कार्यक्रम को सफलता पूर्वक प्रदेश में आयोजित किया जा चुका है।

शिशु मृत्युदर को कम करना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का एक प्रमुख लक्ष्य है। बाल्यावस्था में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में 10 प्रतिशत मृत्यु दस्त के कारण होती है, जो कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग 1.2 लाख बच्चों कि दस्त के कारण मृत्यु का कारण बनता है, तथा दस्त रोग मृत्यु के प्रमुख कारणों में दूसरे स्थान पर है। जिसका उपचार ओ0आर0एस0 एवं जिंक की गोली मात्र से किया जा सकता है एवं बाल मृत्यु दर में कमी लाई जा सकती है। दस्त रोग विकासशील देशों में अधिक व्यापक रूप से मौजूद है जिसका मुख्य कारण असुरक्षित पेयजल, स्वच्छता एवं शौचालय का अभाव तथा समग्र स्वास्थ्य एवं पोषण का निम्न स्तर का होना है।

कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये आवश्यक है कि कार्यक्रम के उद्देश्यों के विषय में स्पष्ट एवं सकारात्मक दृष्टिकोण बनाया जायें। वर्ष 2016–17 में आयोजित Intensified Diarrhoea Control Fortnight-IDCF का उद्देश्य प्रदेश में "Zero" Childhood Death due to Diarrhoea के स्तर को प्राप्त करना।

इस हेतु निम्नलिखित रणनीति एवं उद्देश्य है :—

1. बाल्यावस्था में दस्त के दौरान ओ0आर0एस0 एवं जिंक के उपयोग के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना।
2. 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के बीच दस्त के प्रबन्धन एवं उपचार हेतु गतिविधियों को बढ़ावा देना। साथ ही उच्च प्राथमिकता व अतिसंवेदनशील समुदायों में जागरूकता प्रदान करना है।
3. समुदाय स्तर तक ओ0आर0एस0 एवं जिंक की उपलब्धता को बढ़ावा देना।
4. स्वच्छता एवं हाथों को साफ रखने से विभिन्न रोगों से परिवार को सुरक्षित रखना।

सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा (IDCF) की सम्पूर्ण गतिविधियां 11 से 23 जुलाई, 2016 के मध्य संचालित की जायेंगी। इस निमित्त पखवाड़े के सफल आयोजन हेतु भारत सरकार के निर्देशानुसार पखवाड़े से पूर्व एवं पखवाड़े के दौरान निम्नलिखित गतिविधियॉं निम्नानुसार आयोजित की जानी हैं।

सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़े (IDCF) को आयोजित करने हेतु पूर्व/प्रारम्भिक गतिविधियां

क्र0 सं0	गतिविधियॉ	प्रस्तावित कार्ययोजना	जिम्मेदार व्यक्ति	समय अवधि
1	जनपदीय टास्क फोर्स/जिला स्वास्थ्य समिति/स्टेयरिंग कमेटी का गठन एवं बैठक का संचालन	• पखवाड़े के पूर्व जिला एवं ब्लाक स्तर पर कार्ययोजना नीति तैयार करना (भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर कार्ययोजना गठन हेतु **प्रपत्र संलग्नक–3** जनपद स्तर और **संलग्नक–4** ब्लाक स्तर एवं **संलग्नक–5** ए0एन0एम0 स्तर पर बनाया जाए)	मुख्य चिकित्साधिकारी एवं ब्लाक पर प्रभारी चिकित्साधिकारी	15 से 19 जून 2016
		• पखवाड़े के पूर्व एवं मध्य व नियमित बैठक आयोजित कर भौतिक प्रगति, आपसी सहयोग एवं प्रगति पर समीक्षा कर निर्णायक कदम उठाना।	जिलाधिकारी/ मुख्य चिकित्साधिकारी/ मुख्य विकास अधिकारी	पखवाड़े के मध्य साप्ताहिक
2	सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़े के लिये नोडल अधिकारी का चयन किया जाना	• पखवाड़े से पूर्व स्टेयरिंग कमेटी की बैठक आयोजित कराना। • कार्यक्रम हेतु माइक्रोप्लान बनवाना, सप्लाई की व्यवस्था सुनिश्चित कराना, ब्लॉक स्तरीय ऑरियेन्टेशन बैठक आयोजित कराना। • कार्यक्रम से पूर्व पर्यवेक्षण का प्लान तैयार कराना। • आई0ई0सी0 गतिविधियों को सुनिश्चित कराना। • भौतिक प्रगति रिपोर्ट को संकलित करना तथा राज्य मुख्यालय पर निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना।	मुख्य चिकित्साधिकारी एवं ब्लाक पर प्रभारी चिकित्साधिकारी	15 से 18 जून 2016
3	कार्यक्रम हेतु आवश्यक सामग्री की व्यवस्था **(अ)** ओ0आर0एस0 एंव जिंक की आपूर्ति एवं उपलब्धता सुनिश्चित कराना। **(ब)** आवश्यक समाग्री की व्यवस्था करना	• नोडल अधिकारी द्वारा ओ0आर0एस0 एंव जिंक की आपूर्ति का आंकलन कर पखवाड़े से पूर्व स्वास्थ्य इकाईयों एवं आशा/ए0एन0एम0 तक उपलब्धता सुनिश्चित कराना। • विगत माह/वर्षो में दस्त रोगों की स्थित समीक्षा करते हुये ऐसे सुदूर क्षेत्रों की आशाओं एवं ए0एन0एम0 एवं मोबाइल टीमों को आवश्यक ओ.आर. एस. एंव जिंक उपलब्ध करा कर आशा को डिपो के रूप में चिन्हित करना एवं ओ0आर0एस0 कार्नर हेतु दिशानिर्देश देना। (भारत सरकार के गाइडलाईन का संदर्भ ग्रहण करें)	नोडल अधिकारी एवं फार्मासिस्ट ब्लाक पर प्रभारी चिकित्साधिकारी	15 जून से 20 जून 2016 तक

क्र0 सं0	गतिविधियॉ	प्रस्तावित कार्ययोजना	जिम्मेदार व्यक्ति	समय अवधि
4	तकनीकी उन्मुखीकरण कार्यशालाओं का आयोजन	• जिला एवं ब्लाक स्तर पर चिकित्साधिकारी, ब्लाक कार्यक्रम प्रबंधक, सी0डी0पी0ओ0, बी0सी0पी0 एम0, आयुष चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग स्टाफ, ए0एन0एम0 एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, मुख्य सेविका एवं अन्य सम्बंधित अधिकारियों को आई0डी0 सी0एफ0 कार्यक्रम के तकनीकी विषय, गतिविधियां तथा उनकी भूमिका के सम्बंध में राज्य से **प्रेषित प्रस्तुतिकरण** एवं भारत सरकार द्वारा प्रेषित टूलकिट के माध्यम से उन्मुखीकरण कर प्रशिक्षित किया जाएगा। **(इस हेतु आशाये अपने मॉड्यूल 6–7 का उपयोग करें)**	नोडल अधिकारी एवं मुख्य चिकित्साधिकारी ब्लाक पर प्रभारी चिकित्साधिकारी	अभियान से पूर्व 20 जून से 25 जून, 2016
5	आई0ई0सी0 सामाग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कराना	• भारत सरकार की वैब साइट www.nrhm. gov.in अथवा उत्तर प्रदेश की वैब साइट www.upnrhm. gov.in पर पोस्टर, पैमपेल्ट, टी.वी. एवं रेडियो स्पॉट उपलब्ध हैं IEC सामाग्री को डाउन लोड कर जनपद की आवश्यकता अनुसार प्रपत्रों के साथ ही मुद्रित कराया जाए।	नोडल अधिकारी एवं मुख्य चिकित्साधिकारी	27 जून से 01 जुलाई तक
6	माइक्रोप्लानिंग / कार्ययोजना (अ) जनपद स्तरीय कार्य योजना	• जनपद स्तर पर कार्यक्रम की रूप–रेखा संलग्न **प्रपत्र–3** में लगे प्रारूप के अनुसार पखवाड़ा पूर्व तैयार करायी जाए तथा प्रतिलिपि राज्य स्तर को प्रेषित की जाये।	नोडल अधिकारी एवं मुख्य चिकित्साधिकारी	15 से 25 जून 2016
	(ब) ब्लाक स्तर कार्य योजना	• ब्लाक स्तर पर कार्यक्रम की रूप–रेखा **संलग्नक–4** में लगे प्रपत्र के अनुसार (मोबाइल टीमों का गठन, जिंक ओ0आर0एस0 कार्नरों एवं सहयोगी अनुश्रवण हेतु अधिकारीयों को नामित कर तैयार कर जनपद को उपलब्ध करायी जाए।	प्रभारी चिकित्साधिकारी एव बी0सी0पी0एम0 / बी0पी0एम0	25 से 28 जून 2016
	ग्राम स्तरीय कार्य योजना	• ग्राम स्तर पर कार्यक्रम की रूप–रेखा **संलग्नक–5** ए0एन0एम0 द्वारा एवं आशा के रिर्पोटिगं के प्रपत्र 6 के अनुसार तैयार करायी जाए।	ए0एन0एम0 एवं प्रभारी चिकित्साधिकारी / बी0पी0एम0	01 से 08 जुलाई 2016
7	उदघाटन एवं कार्यक्रम का शुभारम्भ	• कार्यक्रम का शुभारम्भ स्थानीय मंत्री / विधायक या अन्य किसी विशिष्ठ गणमान्य से कराया जाये।	मुख्य चिकित्साधिकारी एवं प्रभारी चिकित्साधिकारी	11 जुलाई 2016
8	आई0डी0सी0एफ0 का अनुश्रवण	• जनपद एवं ब्लाक स्तर पर भारत सरकार के दिशा निर्देश में संलग्न 12 के अनुसार राज्य स्तर से ब्लाक स्तर तक अनुश्रवण किया जाना है।	नोडल अफिसर	11 से 23 जुलाई, 2016

<u>सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा 11 जुलाई से 23 जुलाई 2016 (IDCF) मनाये जाने हेतु गतिविधियां: –</u>

<u>1–</u> आशा द्वारा अपने गांव में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों वाले समस्त घरों का गृह भ्रमण।

- आशा ग्राम स्तरीय नियोजन एवं टैली शीट रिर्पोटिगं <u>प्रपत्र संख्या–6</u> पर अपने गॉव के समस्त 5 वर्ष तक के बच्चो की सूची तैयार करेगी और चिंन्हित बच्चो के घरों में भ्रमण करेगी। पखवाड़े के दौरान प्रत्येक पात्र घर जिसमें 5 वर्ष से कम उम्र का बच्चा हो उस परिवार में **ओ0आर0एस0 का एक पैकट का वितरण किया जाना है।** इसकी सूचना <u>प्रपत्र संख्या–6</u> में दी जानी है।
- जिंक एवं ओ0आर0एस0 पैकेट के क्रय करने हेतु पूर्व में भी धनराशि समस्त जनपदों को जिला स्वास्थ्य समितियों को **दिनांक 10.05.2016** को **FMR Code-B.16.2.2-1** अवमुक्त की जा चुकी है, तथा IDCF कार्यक्रम ओ0आर0एस0 पैकेट के क्रय करने हेतु आवश्यक अतिरिक्त धनराशि **FMR Code-B.16.2.5** पर अवमुक्त की जा रही है। अतः पखवाड़े से पूर्व पर्याप्त मात्रा में ओ0आर0एस0 एवं जिंक की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाये एवं जिंक ओ0आर0एस0 कार्नर एवं मोबाइल टीमों हेतु योजना बना ली जाय।
- आशा द्वारा अपने क्षेत्र के 5 वर्ष उम्र तक के बच्चों वाले सभी घरों में ओ0आर0एस0 पैकेट वितरण करेगी जिसके लिये आशा को रू0 01 प्रति ओ0आर0एस0 पैकेट के अनुसार प्रोत्साहन राशि (इन्सैन्टिव) के रूप में भुगतान किया जायेगा। जिसे आशा के खाते में स्थानान्तरित किया जायेगा।
- **गृह भ्रमण के दौरान आशा द्वारा कुल 4–8 घरों के मध्य ओ0आर0एस0 का घोल बनाने की विधि का प्रदर्शन करेगी ताकि देखभालकर्ता के मध्य सही तरीके की जानकारी सम्भव हो सके एवं स्वच्छता सम्बन्धी जानकारी भी दी जानी है। इसके साथ ही परिवार को निम्न बिन्दुओं पर परामर्श देगी–**

1. दस्त के दौरान बच्चों को ओ0आर0एस0 एवं तरल पदार्थ दिया जाये।
2. जिंक का भी उपयोग दस्त होने के दौरान बच्चों को अवश्य किया जाये। दस्त बन्द हो जाने के उपरान्त भी जिंक की खुराक 02 माह से 05 वर्ष तक के बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार कुल 14 दिनों तक जारी रखा जाए। (02 से 06 माह तक आधी गोली एवं 07 माह से 05 वर्ष तक एक गोली) जिंक का प्रयोग करने से अगले 02 या 03 महीने तक डायरिया होने की सम्भावना कम हो जाती है।
3. जिंक और ओ0आर0एस0 के उपयोग के उपरान्त भी डायरिया ठीक न होने पर बच्चे को नजदीक के स्वास्थ्य केन्द्र पर ले जायें।
4. बीमारी के दौरान और बीमारी के बाद भी आयु के अनुसार स्तनपान, ऊपरी आहार तथा भोजन जारी रखा जाये।
5. उम्र के अनुसार शिशु बाल पोषण सम्बन्धी परामर्श दिया जाये।
6. पीने हेतु स्वच्छ पेयजल का उपयोग किया जाये।
7. खाना बनाने से पूर्व एवं बच्चे का मल साफ करने के उपरान्त साबुन से हाथ धो लेना चाहिये।
8. डायरिया होने पर ओ0आर0एस0 और जिंक का उपयोग करने से बच्चों में तीव्र सुधार होता है।
9. बच्चे के मल का निस्तारण सुरक्षित स्थान पर जल्द से जल्द कर दिया जाये।
10. डायरिया को फैलने से रोकने के लिये शौचालय का उपयोग करना चाहिये।

बच्चे में निम्नलिखित कोई भी लक्षण दिखाई देने पर तत्काल स्वास्थ्य केन्द्र पर ले जायें।

- पानी जैसा लगातार मल का होना।
- बार–बार उल्टी होना।
- अत्यधिक प्यास लगना।
- पानी न पी पीना।
- बुखार।
- मल में खून आना।

- जिन घरों में 2 वर्ष तक के बच्चें हैं उनकी मांताओं को स्तनपान एवं उम्र के अनुसार पूरक पोषाहार की भी जानकारी दें एवं हाथों की सफाई के महत्व के विषय में परामर्श दिया जाये।

नोटः– पखवाड़े के मध्य दस्त रोग से यदि किसी बच्चे की मृत्यु होती है तो ऐसे केसों की जानकारी आशा अपने सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को अवश्य देगी। प्रभारी अधिकारी सभी केसों की सूचना संकलित कर जनपदीय नोडल अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।

2. <u>जिंक एवं ओ0आर0एस0 कार्नर स्थापित करना</u>

<u>अ–</u> ओ0आर0एस0 एवं जिंक कार्नर मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय, ब्लाक स्वास्थ्य केन्द्र, शहरी स्वास्थ्य इकाई, होम्योपैथिक यूनानी व आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्रों, आगनंवाड़ी केन्द्रों और चिन्हित चिकित्सा इकाई/निजी चिकित्सालय/प्राईवेट प्रैक्टीशनर के यहां स्थापित किये जायें। इस कार्य हेतु जनपद स्तर पर IAP एवं IMA का भी सहयोग लिया जाए।

<u>ब–</u> ओ0आर0एस0 जिंक कार्नर को स्थापित करने के विषय में भारत सरकार द्वारा ज़ारी दिशा निर्देशों के **Annexure-X** के (<u>संलग्न–10</u>) में पूर्ण जानकारी दी गयी है अपने स्तर से इसकी प्रति समस्त प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को ओ0आर0एस0 एवं जिंक कार्नर स्थापित करने के लिये उपलब्ध करा दें।

3. <u>ओ0आर0एस0 एवं जिंक हेतु आशाओं को डिपो के रूप में स्थापित करना।</u>

यह सुनिश्चित किया जाये कि आशा के पास अतिरिक्त ओ0आर0एस0 के पैकेट की उपलब्धता हर समय रहे। आशा द्वारा यदि उनका उपयोग कर लिया जाये तो सम्बन्धित ए0एन0एम0/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी अपने स्टोर से इसकी आपूर्ति करते रहें।

4. <u>शहरी क्षेत्रों में मोबाइल टीमों का गठन कराना।</u>

यह सुनिश्चित किया जाये कि जिन शहरों में घुमन्तु, खानाबदोस, अन्य असेवित समाज के बच्चों हेतु ओ0आर0एस0 के उपयोग के प्रति बढावा देने हेतु पर्याप्त मात्रा में प्रचार प्रसार किया जाय एवं जिकं ओ0आर0एस0 कार्नर की स्थापना सुनिश्चित की जाय। दस्त से ग्रसित बच्चो को आवश्यकता अनुसार जिंक और ओ0आर0एस0 प्रदान कर आवश्यक परामर्श प्रदान किया जाय।

5. <u>स्कूलों में हाथ धोने का प्रदर्शन</u>

प्रयास रहे कि सभी स्कूल इस गतिविधि से आच्छादित हो जायें। आर0बी0एस0के0 टीमें भी अपने नियमित भ्रमण के दौरान इस पखवाड़े के मध्य अपनी देख रेख में इस गतिविधि को आयोजित करें तथा क्षेत्र के अन्य छूटे हुये स्कूलों में भ्रमण के समय भी इसको आयोजित कराते रहें।

<u>अ–</u> प्रत्येक प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों में इससे संबंधित गतिविधि करायी जाये। साथ ही प्रभात फेरी एवं रैली का आयोजन भी किया जाये।

<u>ब–</u> हाथ धोने के सही तरीके के विभिन्न चरणों को प्रदर्शित करने वाला पोस्टर हाथ धोने के स्थान पर लगा हो।

<u>स–</u> प्रति दिन प्रार्थना सभाओं में विद्यार्थियों को हाथ धोने के महत्व के विषय में बताया जाये।

<u>द–</u> प्रति दिन मिड डे मिल के समय सभी बच्चों को पोस्टर में दिये गये चरणों के अनुसार साबुन–पानी से हाथ धोना सिखाया जाये।

<u>पखवाड़ा मनाये जाने हेतु सामान्य गतिविधियां:–</u>

1. **जनपद स्तर पर पखवाड़े का विधिवत शुभारम्भ किया जाये। कार्यक्रम का शुभारम्भ स्थानीय मंत्री/विधायक या अन्य किसी विशिष्ठ गण्मान्य व्यक्ति से इसका शुभारम्भ कराया जाये इसमें स्थानीय आई0ए0पी0/आई0एम0ए0/ पी0आर0आई0/आई0सी0डी0एस0 व अन्य स्वैच्छिक संस्थाओं का सहयोग लिया जाये।**
2. ए0एन0एम0 अपने पूर्व निर्धारित वी0एच0एन0डी0/आर0आई0 प्लान के अनुसार भ्रमण करेगी।
3. प्रतिरक्षण कार्य के अतिरिक्त इस पखवाड़े की जानकारी समुदाय में देगी। गंभीर दस्त रोग के हानिकारक प्रभाव, दस्त रोग की रोकथाम, स्वच्छ पेयजल, साफ–सफाई, स्तनपान आदि विषयों पर

चार्ट, पोस्टर जैसे मुद्रित सामाग्री एवं अपने फ्लिपबुक के माध्यम से प्रचार प्रसार करेगी। ओ0आर0एस0 घोल बनाने की विधि का प्रदर्शन करेगी। वी0एच0एन0डी0/आर0आई0 में आने वाली माताओं को ओ0आर0एस0 के पैकेट की उपलब्धता के बारे में जानकारी करेगी तथा आवश्यकता के अनुसार पैकेट वितरण करेगी।

4. ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति के सदस्यों को इस पखवाड़े की जानकारी दे कर ग्राम में स्वच्छता का प्रचार प्रसार, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, घरेलू शौचालय के लाभ एवं निर्माण में सहयोग करने वाली संस्थाओं से निर्माण में सहयोग हेतु अनुरोध किया जाये।
5. **विभिन्न स्तरीय कार्यकर्ताओं का अभिमुखीकरण**– दस्त प्रबंधन गतिविधियों के विषय में समस्त कार्यकर्ताओं का विशेष बैठकों के माध्यम से जानकारी दी जाए तथा सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़े में आयोजित होने वाली गतिविधियों के बारे में तथा उसमें प्रयोग होने वाले रिपोर्टिंग प्रपत्र की जानकारी दी जाए तथा प्रपत्र भी उपलब्ध कराये जाएं।
6. **अन्य विभागों से समन्वय**–जनसमुदाय को जागरूक करने के लिए तथा अन्य विभागों से समन्वय कर रेडियो एवं न्यूज़ पेपर आदि के माध्यम से प्रचार प्रसार कराया जाए तथा अन्य विभाग जैसे शिक्षा विभाग, आई0सी0डी0एस0, पंचायती राज विभाग, इंडियन एकैडमी आफ पीडियाट्रिक्स, आई0एम0ए0 से समन्वय स्थापित किया जाए इसके अतिरिक्त दस्त प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य कर रहीं स्वैच्छिक सहयोगी संस्थायें (UNICEF, UP-TSU-IHAT, MICRONUTRIENT INITIATIVE, CHAI, Save the Children) तथा जनपद में कार्य कर रही अन्य स्वैच्छिक संस्थाओं से समन्वय स्थापित कर उक्त पखवाडे का आयोजन किया जाये।

आई0ई0सी0 एवं प्रचार प्रसार

उपर्युक्त के दृष्टिगत निम्नलिखित संचार माध्यमों का अधिक से अधिक उपयोग किया जायः–

- स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रचार–प्रसार।
- आकाशवाणी।
- दूरदर्शन।
- प्रेस कॉन्फ्रैन्स।
- अन्तर्वैयक्तिक संचार (Inter-Personal Communication).
- गोष्ठी, महिला/बालिकाओं के विद्यालयों में वाद–विवाद प्रतियोगिता, आदि।
- बैनर, पोस्टर, एवं हैण्डबिल, दीवाल लेखन।
- एक दिवसीय कार्यशालाओं का आयोजन।

नोटः– इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा आई.ई.सी. मेटीरियल,पोस्टर का प्रोटोटाइप भारत सरकार की वैब साईट www.nrhm.gov.in. एवं उत्तर प्रदेश की वैब साइट www.upnrhm.gov.in पर पोस्टर, पैमपेल्ट, टी.वी. एवं रेडियो स्पॉट उपलब्ध है, उक्त IEC सामाग्री को डाउन लोड कर जनपद की आवश्यकता अनुसार उपयोग में लाया जाय।

आशा के लिए प्रतिपूर्ति धनराशि–

आशाओं द्वारा गृह भ्रमण के दौरान 5 वर्ष तक के बच्चों को ओ0आर0एस0 पैकेट का वितरण करने हेतु 1 रू. प्रति पैकेट की दर से प्रोत्साहन राशि दिया जायेगा, इस पखवाडा हेतु प्रति आशा प्रोत्साहन **राशि अधिकतम रू0 100/–** खाते में स्थान्तरित की जायेगी।

शहरी क्षेत्र हेतु रणनीतिः–

- मोबाइल टीमों द्वारा पखवाडें का सफल संचालन करना।
- जिला चिकित्सालय, पुरुष एवं महिला में इस पखवाड़े के बैनर पोस्टर लगाये जायें।
- स्थानीय रेडियो, एफ0एम0 रेडियो पर इसका प्रचार–प्रसार कराया जाये।
- शहरी क्षेत्रों में म्युन्स्पिल वार्ड के कर्मचारियों आदि द्वारा मलिन बस्ती में घर–घर जा कर ओ0आर0एस0 पैकट वितरण कराया जाये। जनपदों में शहरी क्षेत्र में ऑगनवाड़ी स्थापित है उनका भी इस अभियान में सहयोग लिया जाये।

- मेडिकल कॉलेजों, शहरी हैल्थ पोस्ट/डिसपैन्सरी, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, होम्योपैथिक यूनानी व आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्रों, तथा प्राईवेट नर्सिंग होम/क्लीनिक, आदि में भी ओ0आर0एस0 कॉर्नर स्थापित कराये जाये इसमें स्थानीय आई0ए0पी0 एवं आई0एम0ए0 का सहयोग लिया जाये।

<u>रिपोर्टिंग :</u>

- अभियान के प्रत्येक चरण की समाप्ति के उपरान्त आशा अपनी रिपोर्ट निर्धारित संलग्न प्रपत्र 6 पर ए0एन0एम0 को प्रेषित करेगी।
- आशा से प्राप्त रिपोर्ट ए0एन0एम0 संलग्न उपकेन्द्र प्रपत्र संख्या 7 पर संकलित कर सामुदायिक / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर 2 दिन के अन्दर जमा करेगी।
- ए0आर0ओ0/बी0सी0पी0एम0 प्राप्त रिपोर्टों को ब्लाक स्तरीय रिर्पोटिगं प्रपत्र संख्या 8 पर संकलित कर, उसकी रिर्पोट 2 दिन के अन्दर अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी के माध्यम से जिला नोडल अधिकारी को प्रेषित करेंगे।
- जनपद स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी/नोडल अधिकारी ब्लॉकों से प्राप्त रिपोर्टों की समीक्षा एवं जॉच करते हुये जिलाधिकारी महोदय द्वारा समीक्षा के उपरान्त संकलित रिपोर्ट प्रपत्र 9 पर महानिदेशक, परिवार कल्याण एवं एस.पी.एम.यू. को पखवाड़े के उपरान्त 2 दिन के अन्दर भिजवाना सुनिश्चित करेगे।

नोटः– भारत सरकार से प्राप्त टूल किट एवं गाइड लाइन ई–मेल द्वारा साथ में प्रेषित किया जा रहा है। कृपया अवलोकन कर उक्त पखवाड़े का माइक्रोप्लान तैयार कर पखवाड़े का सफल बनायें।

वित्त पोषण :–

दिनांक 10.05.2016 को पूर्व में प्रेषित जिंक ओ0आर0एस0 कि धनराशि से कार्यक्रम हेतु कार्ययोजना तैयार कि जाये, **<u>शीघ्र ही सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा (Intensified Diarrhoea Control Fortnight-IDCF) संचालित करने हेतु संलग्न तालिका के अनुसार धनराशि जिला स्वास्थ्य समितियों को अवमुक्त की जा रही है। धनराशि का व्यय दिये गये एफ0एम0आर0 कोड में अंकित किया जायेगा। धनराशि का उपयोग समय समय पर दिये गये वित्तीय दिशा निर्देशानुसार किया जाये।</u>**

सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़े हेतु किराये के वाहन हेतु रू0 2000/– प्रतिदिन प्रति वाहन (जिसमें रू0 1000/– वाहन का किराया एवं रू0 1000/– ईधन हेतु) की दर से 2 वाहन हेतु 10 दिनों के लिये रू0 40000/– की धनराशि अवमुक्त की जा रही है। सावधानी एवं सतर्कता रखी जाये कि यदि किसी अन्य कार्यक्रम/स्कीम में वाहन की व्यवस्था है तो उक्त का ध्यान रखते हुये वाहन का उपयोग आवश्यकतानुसार किया जाये। किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता न की जाये। अभियान के दौरान वाहन का पूर्ण विवरण अलग से भी रखा जाये।

नोट :– माह मई दिनांक 10.05.2016 को ओ0आर0एस0 एवं जिंक क्रय करने के लिये धनराशि को एफ0एम0आर0 कोड– बी.16.2.2.1 में अवमुक्त किया गया है अतः माह मई में अवमुक्त धनराशि से क्रय ओ0आर0एस0 एवं जिंक का व्यय विवरण बी.16.2.2.1 में किया जाये। पखवाड़े के लिये अतिरिक्त ओ0आर0एस0 क्रय करने के लिये धनराशि अवमुक्त की जा रही है इस धनराशि को एफ0एम0आर0 कोड बी. 16.2.5 में अंकित किया जाये। पखवाड़े के लिये अवमुक्त शेष धनराशि का व्यय संलग्न तालिका में अंकित कोडो में ही प्रदर्शित किया जाये। किसी भी स्पष्टीकरण या अन्य जानकारी के लिये वित्त नियंत्रक/महाप्रबन्धक बाल स्वास्थ्य से सम्पर्क कर सकते है।

<u>अनुश्रवण एवं मूल्यांकनः–</u>

आई0डी0सी0एफ0 अभियान का अनुश्रवण करने हेतु जनपद के क्षेत्रीय उपमुख्य चिकित्साधिकारी, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रति दिन क्षेत्रीय भ्रमण करेंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी अन्य सहयोगी विभागों के अधिकारियों के साथ भ्रमण करेगें साथ ही जिला कार्यक्रम प्रबन्धक तथा जिला कम्युनिटी कार्यक्रम प्रबन्धक एवं ब्लाक कम्युनिटी कार्यक्रम प्रबन्धक भी अलग–अलग क्षेत्रों में जा कर कार्यक्रम एवं अन्य योजनाओं का पर्यवेक्षण करेंगे तथा अपनी रिपोर्ट प्रतिदिन नोडल अधिकारी को प्रस्तुत करेगे। नोडल अधिकारी प्राप्त सूचनाओं के अनुसार सुधारात्मक आवश्यक कार्यवाही करेगे।

मण्डलीय अपर निदेशक इस पखवाड़े में विशेष भ्रमण कार्यक्रम बना कर इस पखवाड़े का अनुश्रवण करने का कष्ट करें, तथा अपनी आख्या महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध करायें।

दिनांक 11–23 जुलाई 2016 के सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा (IDCF) कार्यक्रम मनाये जाने के उपरान्त 1 सप्ताह के अन्दर अपनी रिपोर्ट संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0, परिवार कल्याण महानिदेशालय के ई–मेल jdrchup@gmail.com एवं महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के ई–मेल gmchildhealthnrhm@gmail.com पर साफ्ट एवं स्कैन कॉपी मुख्य चिकित्सा अधिकारी/नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इस सम्बन्ध में किसी अन्य जानकारी हेतु संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0, प0क0 महानिदेशालय के मो0न0 09412235596 एवं महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के मो0न0 09415026046 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

<u>संलग्नक–यथोक्त</u>

भवदीय,

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र संख्याः एस0पी0एम0यू0/सी0एच0/ IDCF/35/2016–17/ दिनांक /06/2016

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ.प्र. शासन लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, बाल विकास, उत्तर प्रदेश, शासन लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश, शासन लखनऊ।
4. प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, शासन लखनऊ।
5. प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, शासन लखनऊ।
6. महानिदेशक, राज्य पोषण मिशन, इन्दिरा भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
7. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
8. महानिदेशक, परिवार कल्याण, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
9. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, जवाहर भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
12. निदेशक, आई0सी0डी0एस0, इन्दिरा भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
13. समस्त मण्डलीय, अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
14. संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।
15. महाप्रबन्धक, नियमित टीकाकरण/कम्युनिटी प्रोसेस, एस0पी0एम0यू0 लखनऊ उत्तर प्रदेश।
16. उपमहाप्रबन्धक, आई0ई0सी0, एस0पी0एम0यू0 लखनऊ उत्तर प्रदेश।
17. समस्त, मण्डलीय एवं जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0।
18. टीम लीडर, टैक्नीकल UP-TSU- (IHAT), 5-5, Ratan Square, लखनऊ उत्तर प्रदेश।
19. हेल्थ ऑफीसर, यूनीसेफ बी–3/258, विशाल खन्ड, गोमती नगर, लखनऊ उत्तर प्रदेश।
20. राज्य कार्यक्रम प्रबन्धक, Micronutrient Initiative (MI)/Clinton Health Access Initiative, (CHAI)/Save the Children/Public Health Foundation of India (PHFI) लखनऊ उत्तर प्रदेश।

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0,
राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई,
विशाल कॉम्पलैक्स,
19–ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्याः एस0पी0एम0यू0/सी0एच0/ IDCF/35/2016–17/ दिनांक 27/06/2016

विषय–प्रदेश के समस्त जनपदों में सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा (Intensified Diarrhoea Control Fortnight-IDCF) दिनांक 11 से 23 जुलाई 2016 तक मनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा (IDCF) का आयोजन दिनांक 11 जुलाई से 23 जुलाई, 2016 तक प्रदेश के समस्त जनपदों में मनाया जाना प्रस्तावित है। आप अवगत हैं कि विगत वर्ष 2015–16 में आपके सक्रिय सहयोग से उक्त कार्यक्रम को सफलता पूर्वक प्रदेश में आयोजित किया जा चुका है।

शिशु मृत्युदर को कम करना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का एक प्रमुख लक्ष्य है। बाल्यावस्था में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में 10 प्रतिशत मृत्यु दस्त के कारण होती है, जो कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग 1.2 लाख बच्चों कि दस्त के कारण मृत्यु का कारण बनता है, तथा दस्त रोग मृत्यु के प्रमुख कारणों में दूसरे स्थान पर है। जिसका उपचार ओ0आर0एस0 एवं जिंक की गोली मात्र से किया जा सकता है एवं बाल मृत्यु दर में कमी लाई जा सकती है। दस्त रोग विकासशील देशों में अधिक व्यापक रूप से मौजूद है जिसका मुख्य कारण असुरक्षित पेयजल, स्वच्छता एवं शौचालय का अभाव तथा समग्र स्वास्थ्य एवं पोषण का निम्न स्तर का होना है।

कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये आवश्यक है कि कार्यक्रम के उद्देश्यों के विषय में स्पष्ट एवं सकारात्मक दृष्टिकोण बनाया जायें। वर्ष 2016–17 में आयोजित Intensified Diarrhoea Control Fortnight-IDCF का उद्देश्य प्रदेश में "Zero" Childhood Death due to Diarrhoea के स्तर को प्राप्त करना।

<u>इस हेतु निम्नलिखित रणनीति एवं उद्देश्य है :–</u>

1. बाल्यावस्था में दस्त के दौरान ओ0आर0एस0 एवं जिंक के उपयोग के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना।
2. 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के बीच दस्त के प्रबन्धन एवं उपचार हेतु गतिविधियों को बढ़ावा देना। साथ ही उच्च प्राथमिकता व अतिसंवेदनशील समुदायों में जागरूकता प्रदान करना है।
3. समुदाय स्तर तक ओ0आर0एस0 एवं जिंक की उपलब्धता को बढ़ावा देना।
4. स्वच्छता एवं हाथों को साफ रखने से विभिन्न रोगों से परिवार को सुरक्षित रखना।

सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा (IDCF) की सम्पूर्ण गतिविधियां 11 से 23 जुलाई, 2016 के मध्य संचालित की जायेंगी। इस निमित्त पखवाड़े के सफल आयोजन हेतु भारत सरकार के निर्देशानुसार पखवाड़े से पूर्व एवं पखवाड़े के दौरान निम्नलिखित गतिविधियॉ निम्नानुसार आयोजित की जानी हैं।

सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़े (IDCF) को आयोजित करने हेतु पूर्व/प्रारम्भिक गतिविधियां

क्र0 सं0	गतिविधियॉं	प्रस्तावित कार्ययोजना	जिम्मेदार व्यक्ति	समय अवधि
1	जनपदीय टास्क फोर्स/जिला स्वास्थ्य समिति/स्टेयरिंग कमेटी का गठन एवं बैठक का संचालन	• पखवाड़े के पूर्व जिला एवं ब्लाक स्तर पर कार्ययोजना नीति तैयार करना (भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर कार्ययोजना गठन हेतु **प्रपत्र संलग्नक–3** जनपद स्तर और **संलग्नक–4** ब्लाक स्तर एवं **संलग्नक–5** ए0एन0एम0 स्तर पर बनाया जाए)	मुख्य चिकित्साधिकारी एवं ब्लाक पर प्रभारी चिकित्साधिकारी	15 से 19 जून 2016
		• पखवाड़े के पूर्व एवं मध्य व नियमित बैठक आयोजित कर भौतिक प्रगति, आपसी सहयोग एवं प्रगति पर समीक्षा कर निर्णायक कदम उठाना।	जिलाधिकारी/ मुख्य चिकित्साधिकारी/ मुख्य विकास अधिकारी	पखवाड़े के मध्य साप्तहिक
2	सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़े के लिये नोडल अधिकारी का चयन किया जाना	• पखवाड़े से पूर्व स्टेयरिंग कमेटी की बैठक आयोजित कराना। • कार्यक्रम हेतु माइक्रोप्लान बनवाना, सप्लाई की व्यवस्था सुनिश्चित कराना, ब्लॉक स्तरीय ऑरियेन्टेशन बैठक आयोजित कराना। • कार्यक्रम से पूर्व पर्यवेक्षण का प्लान तैयार कराना। • आई0ई0सी0 गतिविधियों को सुनिश्चित कराना। • भौतिक प्रगति रिपोर्ट को संकलित करना तथा राज्य मुख्यालय पर निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना।	मुख्य चिकित्साधिकारी एवं ब्लाक पर प्रभारी चिकित्साधिकारी	15 से 18 जून 2016
3	कार्यक्रम हेतु आवश्यक सामग्री की व्यवस्था **(अ)** ओ0आर0एस0 एंव जिंक की आपूर्ति एवं उपलब्धता सुनिश्चित कराना। **(ब)** आवश्यक समाग्री की व्यवस्था करना	• नोडल अधिकारी द्वारा ओ0आर0एस0 एंव जिंक की आपूर्ति का आंकलन कर पखवाड़े से पूर्व स्वास्थ्य इकाईयों एवं आशा/ए0एन0एम0 तक उपलब्धता सुनिश्चित कराना। • विगत माह/वर्षो में दस्त रोगों की स्थित समीक्षा करते हुये ऐसे सुदूर क्षेत्रों की आशाओं एवं ए0एन0एम0 एवं मोबाइल टीमों को आवश्यक ओ.आर. एस. एंव जिंक उपलब्ध करा कर आशा को डिपो के रूप में चिन्हित करना एवं ओ0आर0एस0 कार्नर हेतु दिशानिर्देश देना। (भारत सरकार के गाइडलाईन का संदर्भ ग्रहण करें)	नोडल अधिकारी एवं फार्मासिस्ट ब्लाक पर प्रभारी चिकित्साधिकारी	15 जून से 20 जून 2016 तक

क्र0 सं0	गतिविधियॉ	प्रस्तावित कार्ययोजना	जिम्मेदार व्यक्ति	समय अवधि
4	तकनीकी उन्मुखीकरण कार्यशालाओं का आयोजन	• जिला एवं ब्लाक स्तर पर चिकित्साधिकारी, ब्लाक कार्यक्रम प्रबंधक, सी0डी0पी0ओ0, बी0सी0पी0 एम0, आयुष चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग स्टाफ, ए0एन0एम0 एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, मुख्य सेविका एवं अन्य सम्बंधित अधिकारियों को आई0डी0 सी0एफ0 कार्यक्रम के तकनीकी विषय, गतिविधियां तथा उनकी भूमिका के सम्बंध में राज्य से **प्रेषित प्रस्तुतिकरण** एवं भारत सरकार द्वारा प्रेषित टूलकिट के माध्यम से उन्मुखीकरण कर प्रशिक्षित किया जाएगा। **(इस हेतु आशाये अपने मॉड्यूल 6–7 का उपयोग करें)**	नोडल अधिकारी एवं मुख्य चिकित्साधिकारी ब्लाक पर प्रभारी चिकित्साधिकारी	अभियान से पूर्व 20 जून से 25 जून, 2016
5	आई0ई0सी0 सामाग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कराना	• भारत सरकार की वैब साइट www.nrhm. gov.in अथवा उत्तर प्रदेश की वैब साइट www.upnrhm. gov.in पर पोस्टर, पैमपेल्ट, टी.वी. एवं रेडियो स्पॉट उपलब्ध हैं IEC सामाग्री को डाउन लोड कर जनपद की आवश्यकता अनुसार प्रपत्रों के साथ ही मुद्रित कराया जाए।	नोडल अधिकारी एवं मुख्य चिकित्साधिकारी	27 जून से 01 जुलाई तक
6	माइक्रोप्लानिंग / कार्ययोजना (अ) जनपद स्तरीय कार्य योजना	• जनपद स्तर पर कार्यक्रम की रूप–रेखा संलग्न **प्रपत्र–3** में लगे प्रारूप के अनुसार पखवाड़ा पूर्व तैयार करायी जाए तथा प्रतिलिपि राज्य स्तर को प्रेषित की जाये।	नोडल अधिकारी एवं मुख्य चिकित्साधिकारी	15 से 25 जून 2016
	(ब) ब्लाक स्तर कार्य योजना	• ब्लाक स्तर पर कार्यक्रम की रूप–रेखा **संलग्नक–4** में लगे प्रपत्र के अनुसार (मोबाइल टीमों का गठन, जिंक ओ0आर0एस0 कार्नरों एवं सहयोगी अनुश्रवण हेतु अधिकारीयों को नामित कर तैयार कर जनपद को उपलब्ध करायी जाए।	प्रभारी चिकित्साधिकारी एव बी0सी0पी0एम0 / बी0पी0एम0	25 से 28 जून 2016
	ग्राम स्तरीय कार्य योजना	• ग्राम स्तर पर कार्यक्रम की रूप–रेखा **संलग्नक–5** ए0एन0एम0 द्वारा एवं आशा के रिर्पोटिगं के प्रपत्र 6 के अनुसार तैयार करायी जाए।	ए0एन0एम0 एवं प्रभारी चिकित्साधिकारी / बी0पी0एम0	01 से 08 जुलाई 2016
7	उदघाटन एवं कार्यक्रम का शुभारम्भ	• कार्यक्रम का शुभारम्भ स्थानीय मंत्री / विधायक या अन्य किसी विशिष्ठ गणमान्य से कराया जाये।	मुख्य चिकित्साधिकारी एवं प्रभारी चिकित्साधिकारी	11 जुलाई 2016
8	आई0डी0सी0एफ0 का अनुश्रवण	• जनपद एवं ब्लाक स्तर पर भारत सरकार के दिशा निर्देश में संलग्न 12 के अनुसार राज्य स्तर से ब्लाक स्तर तक अनुश्रवण किया जाना है।	नोडल अफिसर	11 से 23 जुलाई, 2016

<u>सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा 11 जुलाई से 23 जुलाई 2016 (IDCF) मनाये जाने हेतु गतिविधियां: –</u>

<u>1–</u> आशा द्वारा अपने गांव में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों वाले समस्त घरों का गृह भ्रमण।

- आशा ग्राम स्तरीय नियोजन एवं टैली शीट रिर्पोटिगं **<u>प्रपत्र संख्या–6</u>** पर अपने गॉव के समस्त 5 वर्ष तक के बच्चो की सूची तैयार करेगी और चिंन्हित बच्चो के घरों में भ्रमण करेगी। पखवाड़े के दौरान प्रत्येक पात्र घर जिसमें 5 वर्ष से कम उम्र का बच्चा हो उस परिवार में **ओ0आर0एस0 का एक पैकट का वितरण किया जाना है।** इसकी सूचना **<u>प्रपत्र संख्या–6</u>** में दी जानी है।
- जिंक एवं ओ0आर0एस0 पैकेट के क्रय करने हेतु पूर्व में भी धनराशि समस्त जनपदों को जिला स्वास्थ्य समितियों को **दिनांक 10.05.2016** को **FMR Code-B.16.2.2-1** अवमुक्त की जा चुकी है, तथा IDCF कार्यक्रम ओ0आर0एस0 पैकेट के क्रय करने हेतु आवश्यक अतिरिक्त धनराशि **FMR Code-B.16.2.5** पर अवमुक्त की जा रही है। अतः पखवाड़े से पूर्व पर्याप्त मात्रा में ओ0आर0एस0 एवं जिंक की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाये एवं जिंक ओ0आर0एस0 कार्नर एवं मोबाइल टीमों हेतु योजना बना ली जाय।
- आशा द्वारा अपने क्षेत्र के 5 वर्ष उम्र तक के बच्चों वाले सभी घरों में ओ0आर0एस0 पैकेट वितरण करेगी जिसके लिये आशा को रू0 01 प्रति ओ0आर0एस0 पैकेट के अनुसार प्रोत्साहन राशि (इन्सैन्टिव) के रूप में भुगतान किया जायेगा। जिसे आशा के खाते में स्थानान्तरित किया जायेगा।
- **गृह भ्रमण के दौरान आशा द्वारा कुल 4–8 घरों के मध्य ओ0आर0एस0 का घोल बनाने की विधि का प्रदर्शन करेगी ताकि देखभालकर्ता के मध्य सही तरीके की जानकारी सम्भव हो सके एवं स्वच्छता सम्बन्धी जानकारी भी दी जानी है। इसके साथ ही परिवार को निम्न बिन्दुओं पर परामर्श देगी–**

1. दस्त के दौरान बच्चों को ओ0आर0एस0 एवं तरल पदार्थ दिया जाये।
2. जिंक का भी उपयोग दस्त होने के दौरान बच्चों को अवश्य किया जाये। दस्त बन्द हो जाने के उपरान्त भी जिंक की खुराक 02 माह से 05 वर्ष तक के बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार कुल 14 दिनों तक जारी रखा जाए। (02 से 06 माह तक आधी गोली एवं 07 माह से 05 वर्ष तक एक गोली) जिंक का प्रयोग करने से अगले 02 या 03 महीने तक डायरिया होने की सम्भावना कम हो जाती है।
3. जिंक और ओ0आर0एस0 के उपयोग के उपरान्त भी डायरिया ठीक न होने पर बच्चे को नजदीक के स्वास्थ्य केन्द्र पर ले जायें।
4. बीमारी के दौरान और बीमारी के बाद भी आयु के अनुसार स्तनपान, ऊपरी आहार तथा भोजन जारी रखा जाये।
5. उम्र के अनुसार शिशु बाल पोषण सम्बन्धी परामर्श दिया जाये।
6. पीने हेतु स्वच्छ पेयजल का उपयोग किया जाये।
7. खाना बनाने से पूर्व एवं बच्चे का मल साफ करने के उपरान्त साबुन से हाथ धो लेना चाहिये।
8. डायरिया होने पर ओ0आर0एस0 और जिंक का उपयोग करने से बच्चों में तीव्र सुधार होता है।
9. बच्चे के मल का निस्तारण सुरक्षित स्थान पर जल्द से जल्द कर दिया जाये।
10. डायरिया को फैलने से रोकने के लिये शौचालय का उपयोग करना चाहिये।

बच्चे में निम्नलिखित कोई भी लक्षण दिखाई देने पर तत्काल स्वास्थ्य केन्द्र पर ले जायें।

- पानी जैसा लगातार मल का होना।
- बार–बार उल्टी होना।
- अत्यधिक प्यास लगना।
- पानी न पी पीना।
- बुखार।
- मल में खून आना।

- जिन घरों में 2 वर्ष तक के बच्चें हैं उनकी मांताओं को स्तनपान एवं उम्र के अनुसार पूरक पोषाहार की भी जानकारी दें एवं हाथों की सफाई के महत्व के विषय में परामर्श दिया जाये।

नोटः— पखवाड़े के मध्य दस्त रोग से यदि किसी बच्चे की मृत्यु होती है तो ऐसे केसों की जानकारी आशा अपने सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को अवश्य देगी। प्रभारी अधिकारी सभी केसों की सूचना संकलित कर जनपदीय नोडल अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।

2. <u>जिंक एवं ओ0आर0एस0 कार्नर स्थापित करना</u>

<u>अ—</u> ओ0आर0एस0 एवं जिंक कार्नर मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय, ब्लाक स्वास्थ्य केन्द्र, शहरी स्वास्थ्य इकाई, होम्योपैथिक यूनानी व आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्रों, आगनंवाड़ी केन्द्रों और चिन्हित चिकित्सा इकाई/निजी चिकित्सालय/प्राईवेट प्रैक्टीशनर के यहां स्थापित किये जायें। इस कार्य हेतु जनपद स्तर पर IAP एवं IMA का भी सहयोग लिया जाए।

<u>ब—</u> ओ0आर0एस0 जिंक कार्नर को स्थापित करने के विषय में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के **Annexure-X** के (<u>संलग्न—10</u>) में पूर्ण जानकारी दी गयी है अपने स्तर से इसकी प्रति समस्त प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को ओ0आर0एस0 एवं जिंक कार्नर स्थापित करने के लिये उपलब्ध करा दें।

3. <u>ओ0आर0एस0 एवं जिंक हेतु आशाओं को डिपो के रूप में स्थापित करना।</u>

यह सुनिश्चित किया जाये कि आशा के पास अतिरिक्त ओ0आर0एस0 के पैकेट की उपलब्धता हर समय रहे। आशा द्वारा यदि उनका उपयोग कर लिया जाये तो सम्बन्धित ए0एन0एम0/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी अपने स्टोर से इसकी आपूर्ति करते रहें।

4. <u>शहरी क्षेत्रों में मोबाइल टीमों का गठन कराना।</u>

यह सुनिश्चित किया जाये कि जिन शहरों में घुमन्तु, खानाबदोस, अन्य असेवित समाज के बच्चों हेतु ओ0आर0एस0 के उपयोग के प्रति बढावा देने हेतु पर्याप्त मात्रा में प्रचार प्रसार किया जाय एवं जिकं ओ0आर0एस0 कार्नर की स्थापना सुनिश्चित की जाय। दस्त से ग्रसित बच्चो को आवश्यकता अनुसार जिंक और ओ0आर0एस0 प्रदान कर आवश्यक परामर्श प्रदान किया जाय।

5. <u>स्कूलों में हाथ धोने का प्रदर्शन</u>

प्रयास रहे कि सभी स्कूल इस गतिविधि से आच्छादित हो जायें। आर0बी0एस0के0 टीमें भी अपने नियमित भ्रमण के दौरान इस पखवाड़े के मध्य अपनी देख रेख में इस गतिविधि को आयोजित करें तथा क्षेत्र के अन्य छूटे हुये स्कूलों में भ्रमण के समय भी इसको आयोजित कराते रहें।

<u>अ—</u> प्रत्येक प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों में इससे संबंधित गतिविधि करायी जाये। साथ ही प्रभात फेरी एवं रैली का आयोजन भी किया जाये।

<u>ब—</u> हाथ धोने के सही तरीके के विभिन्न चरणों को प्रदर्शित करने वाला पोस्टर हाथ धोने के स्थान पर लगा हो।

<u>स—</u> प्रति दिन प्रार्थना सभाओं में विद्यार्थियों को हाथ धोने के महत्व के विषय में बताया जाये।

<u>द—</u> प्रति दिन मिड डे मिल के समय सभी बच्चों को पोस्टर में दिये गये चरणों के अनुसार साबुन—पानी से हाथ धोना सिखाया जाये।

<u>पखवाड़ा मनाये जाने हेतु सामान्य गतिविधियां:—</u>

1. **जनपद स्तर पर पखवाड़े का विधिवत शुभारम्भ किया जाये। कार्यक्रम का शुभारम्भ स्थानीय मंत्री/विधायक या अन्य किसी विशिष्ठ गण्मान्य व्यक्ति से इसका शुभारम्भ कराया जाये इसमें स्थानीय आई0ए0पी0/आई0एम0ए0/ पी0आर0आई0/आई0सी0डी0एस0 व अन्य स्वैच्छिक संस्थाओं का सहयोग लिया जाये।**
2. ए0एन0एम0 अपने पूर्व निर्धारित वी0एच0एन0डी0/आर0आई0 प्लान के अनुसार भ्रमण करेगी।
3. प्रतिरक्षण कार्य के अतिरिक्त इस पखवाड़े की जानकारी समुदाय में देगी। गंभीर दस्त रोग के हानिकारक प्रभाव, दस्त रोग की रोकथाम, स्वच्छ पेयजल, साफ—सफाई, स्तनपान आदि विषयों पर

चार्ट, पोस्टर जैसे मुद्रित सामाग्री एवं अपने फ्लिपबुक के माध्यम से प्रचार प्रसार करेगी। ओ0आर0एस0 घोल बनाने की विधि का प्रदर्शन करेगी। वी0एच0एन0डी0/आर0आई0 में आने वाली माताओं को ओ0आर0एस0 के पैकेट की उपलब्धता के बारे में जानकारी करेगी तथा आवश्यकता के अनुसार पैकेट वितरण करेगी।

4. ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति के सदस्यों को इस पखवाड़े की जानकारी दे कर ग्राम में स्वच्छता का प्रचार प्रसार, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, घरेलू शौचालय के लाभ एवं निर्माण में सहयोग करने वाली संस्थाओं से निर्माण में सहयोग हेतु अनुरोध किया जाये।
5. **विभिन्न स्तरीय कार्यकर्ताओं का अभिमुखीकरण–** दस्त प्रबंधन गतिविधियों के विषय में समस्त कार्यकर्ताओं का विशेष बैठकों के माध्यम से जानकारी दी जाए तथा सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़े में आयोजित होने वाली गतिविधियों के बारे में तथा उसमें प्रयोग होने वाले रिपोर्टिंग प्रपत्र की जानकारी दी जाए तथा प्रपत्र भी उपलब्ध कराये जाएं।
6. **अन्य विभागों से समन्वय–**जनसमुदाय को जागरूक करने के लिए तथा अन्य विभागों से समन्वय कर रेडियो एवं न्यूज़ पेपर आदि के माध्यम से प्रचार प्रसार कराया जाए तथा अन्य विभाग जैसे शिक्षा विभाग, आई0सी0डी0एस0, पंचायती राज विभाग, इंडियन एकैडमी आफ पीडियाट्रिक्स, आई0एम0ए0 से समन्वय स्थापित किया जाए इसके अतिरिक्त दस्त प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य कर रहीं स्वैच्छिक सहयोगी संस्थायें (UNICEF, UP-TSU-IHAT, MICRONUTRIENT INITIATIVE, CHAI, Save the Children) तथा जनपद में कार्य कर रही अन्य स्वैच्छिक संस्थाओं से समन्वय स्थापित कर उक्त पखवाडे का आयोजन किया जाये।

आई0ई0सी0 एवं प्रचार प्रसार

उपर्युक्त के दृष्टिगत निम्नलिखित संचार माध्यमों का अधिक से अधिक उपयोग किया जायः–

- स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रचार–प्रसार।
- आकाशवाणी।
- दूरदर्शन।
- प्रेस कॉन्फ्रैन्स।
- अन्तर्वैयक्तिक संचार (Inter-Personal Communication).
- गोष्ठी, महिला/बालिकाओं के विद्यालयों में वाद–विवाद प्रतियोगिता, आदि।
- बैनर, पोस्टर, एवं हैण्डबिल, दीवाल लेखन।
- एक दिवसीय कार्यशालाओं का आयोजन।

नोटः– इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा आई.ई.सी. मेटीरियल,पोस्टर का प्रोटोटाइप भारत सरकार की वैब साईट www.nrhm.gov.in. एवं उत्तर प्रदेश की वैब साइट www.upnrhm.gov.in पर पोस्टर, पैमपेल्ट, टी.वी. एवं रेडियो स्पॉट उपलब्ध है, उक्त IEC सामाग्री को डाउन लोड कर जनपद की आवश्यकता अनुसार उपयोग में लाया जाय।

आशा के लिए प्रतिपूर्ति धनराशि–

आशाओं द्वारा गृह भ्रमण के दौरान 5 वर्ष तक के बच्चों को ओ0आर0एस0 पैकेट का वितरण करने हेतु 1 रू. प्रति पैकेट की दर से प्रोत्साहन राशि दिया जायेगा, इस पखवाडा हेतु प्रति आशा प्रोत्साहन **राशि अधिकतम रू0 100/–** खाते में स्थान्तरित की जायेगी।

शहरी क्षेत्र हेतु रणनीतिः–

- मोबाइल टीमों द्वारा पखवाडें का सफल संचालन करना।
- जिला चिकित्सालय, पुरुष एवं महिला में इस पखवाड़े के बैनर पोस्टर लगाये जायें।
- स्थानीय रेडियो, एफ0एम0 रेडियो पर इसका प्रचार–प्रसार कराया जाये।
- शहरी क्षेत्रों में म्युन्सिपल वार्ड के कर्मचारियों आदि द्वारा मलिन बस्ती में घर–घर जा कर ओ0आर0एस0 पैकट वितरण कराया जाये। जनपदों में शहरी क्षेत्र में ऑगनवाड़ी स्थापित है उनका भी इस अभियान में सहयोग लिया जाये।

- मेडिकल कॉलेजों, शहरी हैल्थ पोस्ट/डिसपैन्सरी, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, होम्योपैथिक यूनानी व आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्रों, तथा प्राईवेट नर्सिग होम/क्लीनिक, आदि में भी ओ0आर0एस0 कॉर्नर स्थापित कराये जाये इसमें स्थानीय आई0ए0पी0 एवं आई0एम0ए0 का सहयोग लिया जाये।

<u>रिपोर्टिंग :</u>

- अभियान के प्रत्येक चरण की समाप्ति के उपरान्त आशा अपनी रिपोर्ट निर्धारित संलग्न प्रपत्र 6 पर ए0एन0एम0 को प्रेषित करेगी।
- आशा से प्राप्त रिपोर्ट ए0एन0एम0 संलग्न उपकेन्द्र प्रपत्र संख्या 7 पर संकलित कर सामुदायिक / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर 2 दिन के अन्दर जमा करेगी।
- ए0आर0ओ0/बी0सी0पी0एम0 प्राप्त रिपोर्टों को ब्लाक स्तरीय रिर्पोटिगं प्रपत्र संख्या 8 पर संकलित कर, उसकी रिर्पोट 2 दिन के अन्दर अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी के माध्यम से जिला नोडल अधिकारी को प्रेषित करेंगे।
- जनपद स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी/नोडल अधिकारी ब्लॉकों से प्राप्त रिपोर्टों की समीक्षा एवं जॉच करते हुये जिलाधिकारी महोदय द्वारा समीक्षा के उपरान्त संकलित रिपोर्ट प्रपत्र 9 पर महानिदेशक, परिवार कल्याण एवं एस.पी.एम.यू. को पखवाड़े के उपरान्त 2 दिन के अन्दर भिजवाना सुनिश्चित करेगे।

नोटः– भारत सरकार से प्राप्त टूल किट एवं गाइड लाइन ई–मेल द्वारा साथ में प्रेषित किया जा रहा है। कृपया अवलोकन कर उक्त पखवाड़े का माइक्रोप्लान तैयार कर पखवाड़े का सफल बनायें।

वित्त पोषण :–

दिनांक 10.05.2016 को पूर्व में प्रेषित जिंक ओ0आर0एस0 कि धनराशि से कार्यक्रम हेतु कार्ययोजना तैयार कि जाये, **<u>शीघ्र ही सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा (Intensified Diarrhoea Control Fortnight-IDCF) संचालित करने हेतु संलग्न तालिका के अनुसार धनराशि जिला स्वास्थ्य समितियों को अवमुक्त की जा रही है। धनराशि का व्यय दिये गये एफ0एम0आर0 कोड में अंकित किया जायेगा। धनराशि का उपयोग समय समय पर दिये गये वित्तीय दिशा निर्देशानुसार किया जाये।</u>**

सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़े हेतु किराये के वाहन हेतु रू0 2000/– प्रतिदिन प्रति वाहन (जिसमें रू0 1000/– वाहन का किराया एवं रू0 1000/– ईधन हेतु) की दर से 2 वाहन हेतु 10 दिनों के लिये रू0 40000/– की धनराशि अवमुक्त की जा रही है। सावधानी एवं सतर्कता रखी जाये कि यदि किसी अन्य कार्यक्रम/स्कीम में वाहन की व्यवस्था है तो उक्त का ध्यान रखते हुये वाहन का उपयोग आवश्यकतानुसार किया जाये। किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता न की जाये। अभियान के दौरान वाहन का पूर्ण विवरण अलग से भी रखा जाये।

नोट :– माह मई दिनांक 10.05.2016 को ओ0आर0एस0 एवं जिंक क्रय करने के लिये धनराशि को एफ0एम0आर0 कोड– बी.16.2.2.1 में अवमुक्त किया गया है अतः माह मई में अवमुक्त धनराशि से क्रय ओ0आर0एस0 एवं जिंक का व्यय विवरण बी.16.2.2.1 में किया जाये। पखवाड़े के लिये अतिरिक्त ओ0आर0एस0 क्रय करने के लिये धनराशि अवमुक्त की जा रही है इस धनराशि को एफ0एम0आर0 कोड बी. 16.2.5 में अंकित किया जाये। पखवाड़े के लिये अवमुक्त शेष धनराशि का व्यय संलग्न तालिका में अंकित कोडो में ही प्रदर्शित किया जाये। किसी भी स्पष्टीकरण या अन्य जानकारी के लिये वित्त नियंत्रक/महाप्रबन्धक बाल स्वास्थ्य से सम्पर्क कर सकते है।

<u>अनुश्रवण एवं मूल्यांकनः–</u>

आई0डी0सी0एफ0 अभियान का अनुश्रवण करने हेतु जनपद के क्षेत्रीय उपमुख्य चिकित्साधिकारी, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रति दिन क्षेत्रीय भ्रमण करेंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी अन्य सहयोगी विभागों के अधिकारियों के साथ भ्रमण करेगें साथ ही जिला कार्यक्रम प्रबन्धक तथा जिला कम्युनिटी कार्यक्रम प्रबन्धक एवं ब्लाक कम्युनिटी कार्यक्रम प्रबन्धक भी अलग–अलग क्षेत्रों में जा कर कार्यक्रम एवं अन्य योजनाओं का पर्यवेक्षण करेंगे तथा अपनी रिपोर्ट प्रतिदिन नोडल अधिकारी को प्रस्तुत करेगे। नोडल अधिकारी प्राप्त सूचनाओं के अनुसार सुधारात्मक आवश्यक कार्यवाही करेगे।

मण्डलीय अपर निदेशक इस पखवाड़े में विशेष भ्रमण कार्यक्रम बना कर इस पखवाड़े का अनुश्रवण करने का कष्ट करें, तथा अपनी आख्या महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध करायें।

दिनांक 11–23 जुलाई 2016 के सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा (IDCF) कार्यक्रम मनाये जाने के उपरान्त 1 सप्ताह के अन्दर अपनी रिपोर्ट संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0, परिवार कल्याण महानिदेशालय के ई–मेल jdrchup@gmail.com एवं महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के ई–मेल gmchildhealthnrhm@gmail.com पर साफ्ट एवं स्कैन कॉपी मुख्य चिकित्सा अधिकारी/नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इस सम्बन्ध में किसी अन्य जानकारी हेतु संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0, प0क0 महानिदेशालय के मो0न0 09412235596 एवं महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के मो0न0 09415026046 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

<u>संलग्नक–यथोक्त</u>

भवदीय,

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र संख्याः एस0पी0एम0यू0/सी0एच0/ IDCF/35/2016–17/ 2220-75-20 दिनांक /06/2016

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ.प्र. शासन लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, बाल विकास, उत्तर प्रदेश, शासन लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश, शासन लखनऊ।
4. प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, शासन लखनऊ।
5. प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, शासन लखनऊ।
6. महानिदेशक, राज्य पोषण मिशन, इन्दिरा भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
7. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
8. महानिदेशक, परिवार कल्याण, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
9. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, जवाहर भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
12. निदेशक, आई0सी0डी0एस0, इन्दिरा भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
13. समस्त मण्डलीय, अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
14. संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।
15. महाप्रबन्धक, नियमित टीकाकरण/कम्युनिटी प्रोसेस, एस0पी0एम0यू0 लखनऊ उत्तर प्रदेश।
16. उपमहाप्रबन्धक, आई0ई0सी0, एस0पी0एम0यू0 लखनऊ उत्तर प्रदेश।
17. समस्त, मण्डलीय एवं जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0।
18. टीम लीडर, टैक्नीकल UP-TSU- (IHAT), 5-5, Ratan Square, लखनऊ उत्तर प्रदेश।
19. हेल्थ ऑफीसर, यूनीसेफ बी–3/258, विशाल खन्ड, गोमती नगर, लखनऊ उत्तर प्रदेश।
20. राज्य कार्यक्रम प्रबन्धक, Micronutrient Initiative (MI)/Clinton Health Access Initiative, (CHAI)/Save the Children/Public Health Foundation of India (PHFI) लखनऊ उत्तर प्रदेश।

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक